फारम–127

" कृपया देखें पाराग्राफ – 88"

बिक्री अधिसूचना

वित्तीय वर्ष 2015–16 (1ली अप्रील 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बन्दोवस्ती दिनांक 11.03.2015 को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10:00 बजे दिन से (स्थान) समाहरणालय सभा कक्ष, गया में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बंदोवस्त की जायेगी।

2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बंदोवस्ती निम्नांकित शर्त्तो के अधीन होगी और इन सभी शर्त्तो से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बंदोबस्ती में भाग ले सकता है।

3. लॉटरी द्वारा बंदोवस्त होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बंदोवस्ती की जायेगी।

4. (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लौटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानवार बंदोवस्त किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बंदोवस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्त्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लौटरी द्वारा बंदोवस्त किया जाएगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें, लाभकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकानें भी रहेंगी।

दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लौटरी द्वारा निकाला जाएगा। लौटरी द्वारा निकाले गए प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बंदोवस्ती की जाएगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बंदोवस्त नहीं हो सके या बंदोवस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञप्ति विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के दुकान के लिए चयनित दूसरे लौटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरांत तीसरे लौटरी विजेता के साथ बंदोवस्ती की जाएगी।

यदि लौटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बंदोवस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बंदोवस्ती लेने से निरर्हित हो जाएगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बंदोवस्ती की कारवाई की जायेगी।

5. इस बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्त्तें अनुज्ञप्ति की भी शर्त्तें मानी जायेगी। बिक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्त्ता के कार्यालय/विभाग के बेवसाईट **www.excise-bihar.gov.in** पर देखी जा सकती है।

6.(क) लॉटरी द्वारा बंदोवस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञप्ति 1ली अप्रील, 2015 से प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2016 तक के लिए प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बंदोवस्ती अगर वर्ष 2015–16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है तब भी बंदोवस्ती की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक के लिए ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्ती वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बंधेज एवं शर्तों पर की जा सकती है, परंतु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7. (क) लौटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान–प्रमाण (आइडेंटिटी प्रुफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटो युक्त पहचान–पत्र जैसे मतदाता परिचय–पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या, एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटो युक्त पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र, जल/टेलीफोन/बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेंटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लौटरी प्रणाली द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें तथा कंपोजिट शराब की दुकानों की बंदोवस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता है, वशर्त्ते सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिए आवेदन देगा उसपर विभाग द्वारा निर्धारित अलग–अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटाई नहीं जाएगी। परन्तु, अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ख). लौटरी द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंसियल जोन एवं लो पोटेंसियल जोन के आधार पर समर्पित की जानेवाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर "हाई पोटेंसियल जोन" के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क की राशि ही निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

क्षेत्र का नाम	हाई पोटेंशियल तथा लो पोटेंशियल जोन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रू0 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	रू0 5000.00 (पाँच हजार)
नगर परिषद् के लिए	रू0 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	रू0 3000.00 (तीन हजार)
प्रखंड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रू0 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रू0 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेनेवाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निर्धारित दर पर ही जमा कराई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतेय होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बंदोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरूद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा –

(क). अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो,

(ख). वह सरकारी बकायेदार हो।

(ग). आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।

(घ) अगर वह दिवालिया (इंनसोलवेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(i) उसपर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है ;

(ii) उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है,

(iii) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है ;

(iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसके बिहार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की कारावास–अवधि का सजायफ्ता नहीं हैं ; और

(v) यह अन्डरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन–जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेन्सी रहा है, उन जिलों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण–पत्र लाइसेन्स जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाइसेंसिग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसिग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बंदोबस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बंदोबस्ती के दिन को छोड़कर पॉच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी :

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिए वे आवेदन देना चाहते है, उसके लिए अलग–अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा;

(ख) शपथ पत्र (बिकी अधिसूचना के प्रावधानानुसार);

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) से संबंधित वांछित कागजात।

10. कर्त्तव्यस्थ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बंदोबस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक निःशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।

11. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के संबंध में दूसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ–पत्र के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13 (क) यदि कोई दुकान/दुकानों के समूह किसी कारण से बंदोवस्त नहीं हो सके, तो समाहर्त्ता पुनः बिकी अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परंतु इसके लिए पन्द्रह दिन पूर्व बिकी अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख) बंदोवस्ती सर्वप्रथम 'वैसी दुकान/दुकानों के समूहों से प्रारंभ की जायेगी जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।

14 (क) बंदोवस्ती के तुरंत बाद बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करना होगा।

बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञप्तिफीस के बारहवें भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्त्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पदनाम से बंधीकृत फिक्सड डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank का) या थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के रूप में बंदोवस्ती के तुरंत बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून, 2016 रहेगी।

(ख) बंदोवस्तदार/अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीख को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 12वां भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञप्तिफीस जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिए अनुरोध कर सकता है परंतु हर हाल में माह की 20वीं तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी तथा जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समूह लॉटरी के क्रम संख्या दो के अभ्यर्थी के साथ अथवा अभ्यर्थी संख्या–2 को दुकान लेने से इंकार करने पर अभ्यर्थी संख्या तीन के साथ बंदोवस्त कर दी जायेगी।

(ग). खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बंदोवस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की, समूह के किसी दुकान की अनुज्ञप्ति की शर्त्तों के उल्लंघन के लिए उस दुकान की अनुज्ञप्ति के साथ–साथ समूह के अन्य दुकानों की अनुज्ञप्तियॉ भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जब्त कर ली जा सकेगी।

15. (क) जहां बंदोबस्ती पूरे वर्ष के लिए होगी वहां अनुज्ञप्ति फीस कुल वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का बारहवॉ भाग उपर्युक्त कंडिका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परन्तु जहां बंदोवस्ती साल के बीच में होगी वहां समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानें सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिए बंदोवस्त की जायेगी। अगर बंदोबस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति फीस के साथ–साथ जिस माह से अनुज्ञप्ति दी गयी है, उस माह की अनुज्ञप्ति फीस भी जमा करने के बाद बंदोबस्तदार के पक्ष में अनुज्ञप्ति तुरंत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क, वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिए अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा परन्तु प्रतिभूति राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ.) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का ब्योरा अनुज्ञप्ति में अंकित कर दिया जायेगा।

16 (क). कंडिका 15(ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध कराने की पूरी जबावदेही अनुज्ञाधारी की होगी। अनुज्ञाधारी बंदोबस्ती के बाद दस दिनों के अंदर, आपत्ति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उसके अनुमोदन हेतु जिला के समाहर्त्ता को आवेदन देंगे। समाहर्त्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर समाहर्त्ता द्वारा कर दिया जायेगा, अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा समाहर्त्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

बंदोवस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले अपने आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञप्ति स्थल के प्रवेश–द्वार एवं अंदर के भाग तथा उसके चौहदी में स्थित भूमि–भवन/खाली स्थानों का **Still Photograph,** जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिति रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/ सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगे।

(ख). बंदोवस्ती के सफल लौटरी विजेता अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर अपने स्थायी लेखा संख्या (**PAN**) के कार्ड की छायाप्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र के कंपोजिट शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी।

17. स्थल चयन के कारण दुकान खोलने में बिलम्ब के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगा, तथा इसके लिए किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

18. सरकार शराब पर देय उत्पाद कर में एवं राजस्व पर्षद लागत मूल्य में किसी भी समय परिवर्त्तन कर सकती है।

19.(क) बिक्री अधिसूचना में अंकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवां भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञप्ति फीस पर पूर्ण छूट होगी परन्तु निर्धारित कोटा के 15 प्रतिशत से भी उपर उठाव करने पर देय प्रति एल0पी0एल0 अनुज्ञप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा। किसी माह का बचा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा परन्तु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रील में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति के मामले में यदि कोई बंदोबस्तदार अपनी अनुज्ञप्त परिसर को "ऑन" बिक्री में परिवर्तित करना चाहेगा तो वह उस दुकान के वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का दस प्रतिशत अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपनी दुकान में "ऑन" विकी की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद नियम 47 के अंतर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।

(ग) "ऑन" बिक्री के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह जो "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्त्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्त्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।

(घ) समानुपातिक मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।

(ङ.) प्रत्येक प्रकार की मदिरा के बोतल/सैसे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।

20. अनुज्ञाधारी उठायी गयी सम्पूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।

21. मदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और नहीं अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

22(क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्ति परिसर के बाहर मुख्य दरबाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाएं स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा –

(i). दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति अवधि,
(ii). अनुज्ञाधारी का नाम
(iii). दुकान के अधिकृत बिक्रेता का नाम
(iv). सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य

(ख). बंदोवस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक 4085 दिनांक 31.12.10 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'x2.5' साईज का साईन बोर्ड लगायेंगे तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेंगे।

(ग). बंदोवस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर अथवा उसके आस–पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेंटिंग्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और नहीं किसी अन्य को इसकी अनुमति देंगे।

(घ). बंदोवस्तधारी, निगम के डीपो से पासबुक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्गमण लेंगे।

23.(क) बंदोबस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा बनाये गये हैं, या समय–समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही, अनुज्ञप्तिधारी सक्षम पदाधिकारी से समय–समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशो एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्ति भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।

24. राज्य सरकार अपनी बंदोबस्ती नीति में किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

25 इस बिक्री अधिसूचना की शर्त्त अनुज्ञप्ति की शर्त्त भी मानी जायेगी तथा इसके उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम की धारा 42 एवं अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

समाहर्त्ता
गया।

समाहरणालय का नामः– गया।
दिनांकः–

इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में 05.00 रुपया कोर्ट फीसयुक्त आवेदन, आवेदित समूह के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि (नगद/बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा, जो सहायक आयुक्त उत्पाद, गया के पद नाम से देय हो), फोटोयुक्त व्यक्तिगत पहचान पत्र एवं शपथ पत्र के साथ दिनांक 07.03.2015 के अपराह्न 05.00 बजे तक सहायक आयुक्त उत्पाद, गया के कार्यालय में समर्पित कर सकते है।

समाहर्त्ता,
गया।

समाहरणालय, गया

(उत्पाद शाखा)

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिये समूहवार बन्दोबस्त की जाने वाली खुदरा देशी/ मसालेदार देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट उत्पाद दुकानों की सूची

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
				देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)		
1		2	3	4	5	6	7	8
1	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी दुकान सं0 -01 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–01		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
2	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी दुकान सं0 -02 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–02		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
3	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी दुकान सं0 -03 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–03		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
4	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी दुकान सं0 -04 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–04		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
5	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी दुकान सं0 -05 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–05		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
6	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी दुकान सं0 -06 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–06		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
				देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)		
7	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी दुकान सं0 -07 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–07		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
8	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी दुकान सं0 -08 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–08		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
9	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–09 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–09		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
10	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–10 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–10		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
11	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–11 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–11		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
12	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–12 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–12		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
13	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–13 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–13		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
				देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)		
14	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–14 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–14		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
15	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–15 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–15		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
16	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–16 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–16		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
17	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–17 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–17		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
18	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–18 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–18		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
19	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–19 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–19		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
20	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–20 (निम्न क्षमता)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–20		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
				देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)		
21	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं0–21 (निम्न क्षमता)	निर्धारित क्षेत्र में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–21		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
22	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं0–22 (निम्न क्षमता)	निर्धारित क्षेत्र में	4500.00	0.00	0.00	₹ 4,05,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–22		0.00	2700.00	8700.00	₹ 4,92,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**2700.00**	**8700.00**	**₹ 8,97,000.00**	
23	(क)	गया नगर निगम विदेशी शराब दुकान संख्या–23	निर्धारित क्षेत्र में	0.00	3000.00	8800.00	₹ 5,38,000.00	9000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 20 (उत्तलिपुर, बरसौना, भेटोरा, पिपरा, बहसा)		800.00	500.00	600.00	₹ 1,53,000.00	
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -27 (सिन्दुआर , बंगला, सिरियावाँ, गोपालकेड़ा)		600.00	600.00	600.00	₹ 1,50,000.00	
		Group Total		**1400.00**	**4100.00**	**10000.00**	**₹ 8,41,000.00**	
24	(क)	गया नगर निगम देशी./म0 देशी शराब दुकान सं0–23 (उच्च क्षमता)	निर्धारित क्षेत्र में	6100.00	0.00	0.00	₹ 5,49,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान संख्या–24 (उच्च क्षमता)		6100.00	0.00	0.00	₹ 5,49,000.00	
		Group Total		**12200.00**	**0.00**	**0.00**	**₹ 10,98,000.00**	
25	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान संख्या–25 (उच्च क्षमता)	निर्धारित क्षेत्र में	6100.00	0.00	0.00	₹ 5,49,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान संख्या–26 (उच्च क्षमता)		6100.00	0.00	0.00	₹ 5,49,000.00	
		Group Total		**12200.00**	**0.00**	**0.00**	**₹ 10,98,000.00**	
26	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान संख्या–27 (उच्च क्षमता)	निर्धारित क्षेत्र में	6100.00	0.00	0.00	₹ 5,49,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं0–28 (उच्च क्षमता)		6100.00	0.00	0.00	₹ 5,49,000.00	
		Group Total		**12200.00**	**0.00**	**0.00**	**₹ 10,98,000.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
				देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)		
27	(क)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–29 (उच्च क्षमता)	निर्धारित क्षेत्र में	6100.00	0.00	0.00	₹ 5,49,000.00	10000.00
	(ख)	गया नगर निगम देशी/म0 देशी शराब दुकान सं०–30 (उच्च क्षमता)		6100.00	0.00	0.00	₹ 5,49,000.00	
		Group Total		**12200.00**	**0.00**	**0.00**	**₹ 10,98,000.00**	
28	(क)	बोधगया नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान संख्या–01	निर्धारित क्षेत्र में	0.00	1800.00	4800.00	₹ 3,18,000.00	9000.00
	(ख)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान आमस		0.00	1000.00	800.00	₹ 1,58,000.00	
	(ग)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान बाँकेबाजार		0.00	900.00	800.00	₹ 1,43,000.00	
		Group Total		**0.00**	**3700.00**	**6400.00**	**₹ 6,19,000.00**	
29	(क)	बोधगया नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान संख्या–02	निर्धारित क्षेत्र में	0.00	1800.00	4800.00	₹ 3,18,000.00	9000.00
	(ख)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान बाराचट्टी		0.00	1200.00	1000.00	₹ 1,90,000.00	
	(ग)	प्र0 मु0 देशी/म० देशी शराब दुकान बाराचट्टी		1200.00	0.00	0.00	₹ 1,08,000.00	
		Group Total		**1200.00**	**3000.00**	**5800.00**	**₹ 6,16,000.00**	
30	(क)	बोधगया नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान संख्या–03	निर्धारित क्षेत्र में	0.00	1800.00	4800.00	₹ 3,18,000.00	9000.00
	(ख)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान टनकुप्पा		0.00	1000.00	400.00	₹ 1,54,000.00	
	(ग)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान इमामगंज		0.00	900.00	1000.00	₹ 1,45,000.00	
		Group Total		**0.00**	**3700.00**	**6200.00**	**₹ 6,17,000.00**	
31	(क)	बोधगया नगर पंचायत देशी/म० देशी शराब दुकान संख्या–01	निर्धारित क्षेत्र म	2800.00	0.00	0.00	₹ 2,52,000.00	3000.00
		Group Total		**2800.00**	**0.00**	**0.00**	**₹ 2,52,000.00**	
32	(क)	बोधगया नगर पंचायत देशी/म० देशी शराब दुकान संख्या–02	निर्धारित क्षेत्र में	2800.00	0.00	0.00	₹ 2,52,000.00	6000.00
	(ख)	बोधगया नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान संख्या–04		0.00	1800.00	4800.00	₹ 3,18,000.00	
		Group Total		**2800.00**	**1800.00**	**4800.00**	**₹ 5,70,000.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
				देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)		
33	(क)	शेरघाटी नगर पंचायत देशी/म० देशी शराब दुकान संख्या–01	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	3000.00	0.00	0.00	₹ 2,70,000.00	8000.00
	(ख)	शेरघाटी नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान संख्या–01		0.00	1300.00	2100.00	₹ 2,16,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 36 (राजन, चिताबकला, ढापचिरैया, कोलोना)		900.00	300.00	500.00	₹ 1,31,000.00	
		Group Total		**3900.00**	**1600.00**	**2600.00**	**₹ 6,17,000.00**	
34	(क)	शेरघाटी नगर पंचायत देशी/म० देशी शराब दुकान संख्या–02	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	3000.00	0.00	0.00	₹ 2,70,000.00	8000.00
	(ख)	शेरघाटी नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान संख्या–02		0.00	1300.00	2100.00	₹ 2,16,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 37 (चापीकचौड़ी, गोपालपुर, श्रीरामपुर)		900.00	200.00	500.00	₹ 1,16,000.00	
		Group Total		**3900.00**	**1500.00**	**2600.00**	**₹ 6,02,000.00**	
35	(क)	शेरघाटी नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान संख्या–03	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	0.00	1300.00	2100.00	₹ 2,16,000.00	8000.00
	(ख)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान परैया		2500.00	0.00	0.00	₹ 2,25,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 54 (मंगरावा, बगाही,ओरवाँ, कपसिया)		1500.00	300.00	300.00	₹ 1,83,000.00	
		Group Total		**4000.00**	**1600.00**	**2400.00**	**₹ 6,24,000.00**	
36	(क)	शेरघाटी नगर पंचायत देशी/म० देशी शराब दुकान संख्या–03	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	3000.00	0.00	0.00	₹ 2,70,000.00	9000.00
	(ख)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान गुरारु		0.00	1100.00	1000.00	₹ 1,75,000.00	
	(ग)	प्र० मु0 देशी/म० देशी शराब दुकान गुरारु		2300.00	0.00	0.00	₹ 2,07,000.00	
		Group Total		**5300.00**	**1100.00**	**1000.00**	**₹ 6,52,000.00**	
37	(क)	टेकारी नगर पंचायत देशी/म० देशी शराब दुकान संख्या–01	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	3100.00	0.00	0.00	₹ 2,79,000.00	8000.00
	(ख)	टेकारी नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान संख्या–01		0.00	1600.00	2000.00	₹ 2,60,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -64 (पलुहाड़, छटुआ, सिमुआरा)		1320.00	400.00	520.00	₹ 1,84,000.00	
		Group Total		**4420.00**	**2000.00**	**2520.00**	**₹ 7,23,000.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
				देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)		
38	(क)	टेकारी नगर पंचायत देशी/म० देशी शराब दुकान संख्या–02	निर्धारित क्षेत्र में	3100.00	0.00	0.00	₹ 2,79,000.00	8000.00
	(ख)	टेकारी नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान संख्या–02		0.00	1600.00	2000.00	₹ 2,60,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -62 (रुपसपुर , नौनी, लाव, पुरा)		800.00	400.00	500.00	₹ 1,37,000.00	
		Group Total		**3900.00**	**2000.00**	**2500.00**	**₹ 6,76,000.00**	
39	(क)	टेकारी नगर पंचायत देशी/म० देशी शराब दुकान संख्या–03	पंचानपुर क्षेत्र में	3100.00	0.00	0.00	₹ 2,79,000.00	8000.00
	(ख)	टेकारी नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान संख्या–03		0.00	800.00	1500.00	₹ 1,35,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 58 (उतरेन , कुरमावाँ, तिनेरी, चिबुरा)	निर्धारित क्षेत्र मे	1000.00	250.00	450.00	₹ 1,32,000.00	
		Group Total		**4100.00**	**1050.00**	**1950.00**	**₹ 5,46,000.00**	
40	(क)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान बेलागंज - 01	निर्धारित क्षेत्र में	1500.00	0.00	0.00	₹ 1,35,000.00	7000.00
	(ख)	पचायत कम्पोजिट शराब दुकान स0 -61 (करहटा, दिघोरा, मूसी, भोरी)		1000.00	300.00	400.00	₹ 1,39,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 70 (कसेरु, धर्मपुर, कुजाप कुजापी)		1200.00	800.00	600.00	₹ 2,34,000.00	
		Group Total		**3700.00**	**1100.00**	**1000.00**	**₹ 5,08,000.00**	
41	(क)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान बेलागंज - 02	निर्धारित क्षेत्र में	1500.00	0.00	0.00	₹ 1,35,000.00	8000.00
	(ख)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान बेलागंज		0.00	1100.00	1000.00	₹ 1,75,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 65 (खनेता, भलुआ-1. भलुआ-2)		1300.00	400.00	600.00	₹ 1,83,000.00	
		Group Total		**2800.00**	**1500.00**	**1600.00**	**₹ 4,93,000.00**	
42	(क)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान अतरी	निर्धारित क्षेत्र में	3000.00	0.00	0.00	₹ 2,70,000.00	8000.00
	(ख)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान अतरी		0.00	900.00	500.00	₹ 1,40,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -01 (सीढ, डिहूरी, नैली)		1700.00	300.00	500.00	₹ 2,03,000.00	
		Group Total		**4700.00**	**1200.00**	**1000.00**	**₹ 6,13,000.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
				देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)		
43	(क)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान नीमचक बथानी	निर्धारित क्षेत्र में	2000.00	0.00	0.00	₹ 1,80,000.00	8000.00
	(ख)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान नीमचक बथानी		0.00	700.00	300.00	₹ 1,08,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -03 (सरवाहदा, हेमारा, बिहटा)		1700.00	400.00	400.00	₹ 2,17,000.00	
		Group Total		**3700.00**	**1100.00**	**700.00**	**₹ 5,05,000.00**	
44	(क)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान वजीरगंज - 01	निर्धारित क्षेत्र में	2100.00	0.00	0.00	₹ 1,89,000.00	8000.00
	(ख)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान बाँकेबाज़ार		900.00	0.00	0.00	₹ 81,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -15 (महुएत, बिच्छा, कुकिहार)		1100.00	300.00	500.00	₹ 1,49,000.00	
		Group Total		**4100.00**	**300.00**	**500.00**	**₹ 4,19,000.00**	
45	(क)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान वजीरगंज - 02	निर्धारित क्षेत्र में	2100.00	0.00	0.00	₹ 1,89,000.00	8000.00
	(ख)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान फतेहपुर		800.00	0.00	0.00	₹ 72,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -17 (जमुआवाँ, कारी, सलैयाकला)		1200.00	300.00	500.00	₹ 1,58,000.00	
		Group Total		**4100.00**	**300.00**	**500.00**	**₹ 4,19,000.00**	
46	(क)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान वजीरगंज - 03	पुनामा	2100.00	0.00	0.00	₹ 1,89,000.00	8000.00
	(ख)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान टनकुप्पा	निर्धारित क्षेत्र में	800.00	0.00	0.00	₹ 72,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -14 (सहिया, पतेड़, मंगरामा, करजरा)		1200.00	300.00	500.00	₹ 1,58,000.00	
		Group Total		**4100.00**	**300.00**	**500.00**	**₹ 4,19,000.00**	
47	(क)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान वज़ीरगंज	निर्धारित क्षेत्र में	0.00	1400.00	1500.00	₹ 2,25,000.00	8000.00
	(ख)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान इमामगंज		1000.00	0.00	0.00	₹ 90,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -31 (कहुदाग, बारा, जयगीर, मुगेर)		600.00	200.00	400.00	₹ 88,000.00	
		Group Total		**1600.00**	**1600.00**	**1900.00**	**₹ 4,03,000.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा बीयर (बी0एल0)	मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
48	(क)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान फतेहपुर	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	0.00	1200.00	1000.00	₹ 1,90,000.00	7000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -21 (मोरहे, मतासो, भोरे)		1100.00	400.00	600.00	₹ 1,65,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -22 (डुमरीचट्टी, उ0, द0 लोधवे, बारा)		800.00	200.00	200.00	₹ 1,04,000.00	
		Group Total		**1900.00**	**1800.00**	**1800.00**	**₹ 4,59,000.00**	
49	(क)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान डोभी	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	2000.00	0.00	0.00	₹ 1,80,000.00	8000.00
	(ख)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान डोभी		0.00	1600.00	2000.00	₹ 2,60,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 33 (घोड़ाघाट, अंगरा, पंत्ररतन, कुशाबिजा)		1100.00	300.00	600.00	₹ 1,50,000.00	
				3100.00	**1900.00**	**2600.00**	**₹ 5,90,000.00**	
50	(क)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान खिज़रसराय	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	2200.00	0.00	0.00	₹ 1,98,000.00	6000.00
	(ख)	प्र० मु० विदेशी शराब दुकान खिजरसराय		0.00	1100.00	1000.00	₹ 1,75,000.00	
		Group Total		**2200.00**	**1100.00**	**1000.00**	**₹ 3,73,000.00**	
51	(क)	प्र० मु० देशी / म० देशी शराब दुकान आमस	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	1000.00	0.00	0.00	₹ 90,000.00	5000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 48 (सावकला, करमडिह , कलवन, अकौना)		800.00	400.00	300.00	₹ 1,35,000.00	
		Group Total		**1800.00**	**400.00**	**300.00**	**₹ 2,25,000.00**	
52	(क)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान गुरुआ	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	1400.00	0.00	0.00	₹ 1,26,000.00	6000.00
	(ख)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान गुरुआ		0.00	1100.00	1000.00	₹ 1,75,000.00	
		Group Total		**1400.00**	**1100.00**	**1000.00**	**₹ 3,01,000.00**	
53	(क)	प्र0 मु0 विदेशी शराब दुकान कोंच	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	0.00	1000.00	800.00	₹ 1,58,000.00	7000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0- 18 (धुरियावां, तरवां, केनार, फतेहपुर)		1300.00	400.00	600.00	₹ 1,83,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 24 (नौडिहा, सुल्तानपुर, नगवा सियारी)		1000.00	300.00	300.00	₹ 1,38,000.00	
		Group Total		**2300.00**	**1700.00**	**1700.00**	**₹ 4,79,000.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)	मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
54	(क)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान कोंच - 01	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	2500.00	0.00	0.00	₹ 2,25,000.00	8000.00
	(ख)	प्र0 मु0 देशी / म० देशी शराब दुकान कोंच - 02		2500.00	0.00	0.00	₹ 2,25,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -56 (गौहरपुर , खज़ुरी, मझियावाँ, परसावाँ)		1000.00	300.00	400.00	₹ 1,39,000.00	
		Group Total		**6000.00**	**300.00**	**400.00**	**₹ 5,89,000.00**	
55	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -02 (नरावट, धुसरी, जिरी,) अतरी प्रखण्ड	निर्धारित क्षेत्रों में	1600.00	300.00	300.00	₹ 1,92,000.00	6000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -11 (खुखरी, मनियारा, सरेन)		1200.00	300.00	400.00	₹ 1,57,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -12 (जेठियन, तेतर, गहलौर)		1000.00	200.00	300.00	₹ 1,23,000.00	
		Group Total		**3800.00**	**800.00**	**1000.00**	**₹ 4,72,000.00**	
56	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -04 (उचौली, कुतुलपुर, चिरैली)	निर्धारित क्षेत्रों में	1500.00	300.00	400.00	₹ 1,84,000.00	6000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -05 (हथियावाँ, जमुआवाँ, रौनियाँ)		900.00	300.00	300.00	₹ 1,29,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -40 (अइमा, होरमा, सिसवर)		600.00	300.00	200.00	₹ 1,01,000.00	
		Group Total		**3000.00**	**900.00**	**900.00**	**₹ 4,14,000.00**	
57	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -06 (लोदीपुर, नौडिहा, कुड़वा)	निर्धारित क्षेत्रों में	1200.00	300.00	300.00	₹ 1,56,000.00	4000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -10 (मई, तिलेरी, सिंधौल)		1200.00	300.00	300.00	₹ 1,56,000.00	
		Group Total		**2400.00**	**600.00**	**600.00**	**₹ 3,12,000.00**	
58	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -07 (सनौत, कइया, गेरे, बारागन्धार)	निर्धारित क्षेत्रों में	1100.00	600.00	1000.00	₹ 1,99,000.00	6000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -39 (पनारी, साकिरबिगहा, श्रीपुर)		900.00	300.00	400.00	₹ 1,30,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 41 (रानीगंज़, बभण्डी, कुजेश्वर लावावर)		1000.00	400.00	400.00	₹ 1,54,000.00	
		Group Total		**3000.00**	**1300.00**	**1800.00**	**₹ 4,83,000.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
				देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)		
59	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -08 (ननौक , सादीपुर, उसरी)	निर्धारित क्षेत्रों में	1200.00	400.00	400.00	₹ 1,72,000.00	4000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -78 (नावां पड़रिया, धनसीर)		700.00	300.00	300.00	₹ 1,11,000.00	
		Group Total		**1900.00**	**700.00**	**700.00**	**₹ 2,83,000.00**	
60	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 09 (भदेजा, सोहेपुर, नौरंगा)	निर्धारित क्षेत्रों में	1300.00	600.00	600.00	₹ 2,13,000.00	4000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 19 (जगन्नाथपुर , आरोपुर, जगाधरपुर)		700.00	300.00	400.00	₹ 1,12,000.00	
		Group Total		**2000.00**	**900.00**	**1000.00**	**₹ 3,25,000.00**	
61	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -13 (सेवतर, उ0 कुजुर, द0 कुजुर)	निर्धारित क्षेत्रों में	1200.00	400.00	300.00	₹ 1,71,000.00	4000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -25 (धरहराकला, चरोखरी, अमेठी)		1000.00	300.00	300.00	₹ 1,38,000.00	
		Group Total		**2200.00**	**700.00**	**600.00**	**₹ 3,09,000.00**	
62	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -16 (महुगाईन, केनारचट्टी, बिशनपुर)	अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में	1300.00	400.00	300.00	₹ 1,80,000.00	4000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -23 (कठौतिया, केवला, नौडिहा, झुरांग)		800.00	300.00	300.00	₹ 1,20,000.00	
		Group Total		**2100.00**	**700.00**	**600.00**	**₹ 3,00,000.00**	
63	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 26 (एरकी, पेशावर, मटिहानी, लखैपुर)	निर्धारित क्षेत्रों में	800.00	400.00	600.00	₹ 1,38,000.00	6000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -30 (झाझ, देवनिया, रोहि, पतलुआ)		800.00	400.00	600.00	₹ 1,38,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 32 (बजरकट, बीबी पेसरा, भलुआ)		800.00	400.00	600.00	₹ 1,38,000.00	
		Group Total		**2400.00**	**1200.00**	**1800.00**	**₹ 4,14,000.00**	
64	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -28 (अम्बातरी, मुसैला, अमकोला, केवला)	निर्धारित क्षेत्रों में	900.00	300.00	400.00	₹ 1,30,000.00	2000.00
		Group Total		**900.00**	**300.00**	**400.00**	**₹ 1,30,000.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
				देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)		
65	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -29 (डेमा, लाडु, खरड़ीह, बुमुआर, टेसवार)	निर्धारित क्षेत्र में	1100.00	300.00	200.00	₹ 1,46,000.00	2000.00
		Group Total		**1100.00**	**300.00**	**200.00**	**₹ 1,46,000.00**	
66	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -34 (बज़ौरा, कारी, नवाडीह, नीमा)	निर्धारित क्षेत्र में	1100.00	400.00	400.00	₹ 1,63,000.00	2000.00
		Group Total		**1100.00**	**400.00**	**400.00**	**₹ 1,63,000.00**	
67	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -35 (कुरमावाँ पट्टी, खराटी, बदरपुर)	निर्धारित क्षेत्र में	600.00	300.00	200.00	₹ 1,01,000.00	2000.00
		Group Total		**600.00**	**300.00**	**200.00**	**₹ 1,01,000.00**	
68	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 38 (टउवां, सैपगंज, गोईथा, पननिया)	निर्धारित क्षेत्र में	1500.00	400.00	400.00	₹ 1,99,000.00	2000.00
		Group Total		**1500.00**	**400.00**	**400.00**	**₹ 1,99,000.00**	
69	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -42 (नगवाँ, नौडिहा, विराज, पकरी, झुरीयाँ)	निर्धारित क्षेत्र में	1200.00	200.00	200.00	₹ 1,40,000.00	2000.00
		Group Total		**1200.00**	**200.00**	**200.00**	**₹ 1,40,000.00**	
70	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -43 (तिलैया, लटुआ, बरेता)	निर्धारित क्षेत्र में	1300.00	200.00	200.00	₹ 1,49,000.00	2000.00
		Group Total		**1300.00**	**200.00**	**200.00**	**₹ 1,49,000.00**	
71	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 44 (रसलपुर, बारा, मदनबिगहा)	निर्धारित क्षेत्र में	800.00	400.00	1000.00	₹ 1,42,000.00	6000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -71 (चाकन्द, अमराहा)		1000.00	400.00	400.00	₹ 1,54,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -72 (चुरी, कण्डी, घुटिया)		1000.00	300.00	300.00	₹ 1,38,000.00	
		Group Total		**2800.00**	**1100.00**	**1700.00**	**₹ 4,34,000.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
				देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)		
72	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -45 (मझौली, महुरी, कावर)	निर्धारित क्षेत्रों में	733.00	327.00	209.00	₹ 1,17,110.00	2000.00
		Group Total		**733.00**	**327.00**	**209.00**	**₹ 1,17,110.00**	
73	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -46 (भंगीया, भोकहा, पनकरा, नदई)	निर्धारित क्षेत्रों में	1300.00	500.00	125.00	₹ 1,93,250.00	2000.00
		Group Total		**1300.00**	**500.00**	**125.00**	**₹ 1,93,250.00**	
74	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 47 (सेवरा, कोल्हुआर, नारायनपुर)	निर्धारित क्षेत्रों में	1200.00	200.00	200.00	₹ 1,40,000.00	2000.00
		Group Total		**1200.00**	**200.00**	**200.00**	**₹ 1,40,000.00**	
75	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 49 (महुआवँ, झरी, रामपुर, बड़की चिलमी)	निर्धारित क्षेत्रों में	1200.00	200.00	200.00	₹ 1,40,000.00	2000.00
		Group Total		**1200.00**	**200.00**	**200.00**	**₹ 1,40,000.00**	
76	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -50 (काज़, डुबा, मंडा, नदौरा)	निर्धारित क्षेत्रों में	1200.00	200.00	200.00	₹ 1,40,000.00	2000.00
		Group Total		**1200.00**	**200.00**	**200.00**	**₹ 1,40,000.00**	
77	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 51 (रौना, कोची, तिलेरी) गुरारू प्रखण्ड	निर्धारित क्षेत्रों में	1200.00	200.00	200.00	₹ 1,40,000.00	4000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 52 (मलपा , देवकली, पहरा, घटेरा, डिहा)		1200.00	200.00	200.00	₹ 1,40,000.00	
		Group Total		**2400.00**	**400.00**	**400.00**	**₹ 2,80,000.00**	
78	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 53 (बरौरा, कनौसी, डबूर , गुडरु)	निर्धारित क्षेत्रों में	1200.00	200.00	300.00	₹ 1,41,000.00	2000.00
		Group Total		**1200.00**	**200.00**	**300.00**	**₹ 1,41,000.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
				देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)		
79	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -55 (सोलरा, अज़मतगंज)	निर्धारित क्षेत्रों में	1500.00	400.00	400.00	₹ 1,99,000.00	6000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -59 (अदई, आंती, कावर, कोराप)		1500.00	300.00	400.00	₹ 1,84,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -73 (खिरियावां, नैली, पुनाकलां)		1000.00	400.00	400.00	₹ 1,54,000.00	
		Group Total		**4000.00**	**1100.00**	**1200.00**	**₹ 5,37,000.00**	
80	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -57 (गुरारी, श्रीगाँव , केर, असलेमपुर)	निर्धारित क्षेत्रों में	1500.00	100.00	200.00	₹ 1,52,000.00	6000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 60 (मउ, जलालपुर, सांडा)		1500.00	200.00	200.00	₹ 1,67,000.00	
	(ग)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -63 (डिहुरा, चैता, केसपा)		1500.00	300.00	300.00	₹ 1,83,000.00	
		Group Total		**4500.00**	**600.00**	**700.00**	**₹ 5,02,000.00**	
81	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -66 (कोरेयावाँ, पाईबिगहा, कोरमथु)	निर्धारित क्षेत्रों में	1300.00	400.00	300.00	₹ 1,80,000.00	4000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 69 (लोदीपुर, कंचनपुर, लक्ष्मीपुर, अकथु)		1000.00	300.00	300.00	₹ 1,38,000.00	
		Group Total		**2300.00**	**700.00**	**600.00**	**₹ 3,18,000.00**	
82	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 67 (वाजितपुर, बेलहाड़ी, चिरैला)	निर्धारित क्षेत्रों में	1000.00	300.00	400.00	₹ 1,39,000.00	4000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 -68 (अगन्धा, एरकी, रौना)		1100.00	300.00	300.00	₹ 1,47,000.00	
		Group Total		**2100.00**	**600.00**	**700.00**	**₹ 2,86,000.00**	
83	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 74 (बसाढी, बकरौर, मोराटाल, हथियार)	निर्धारित क्षेत्रों में	600.00	400.00	300.00	₹ 1,17,000.00	2000.00
		Group Total		**600.00**	**400.00**	**300.00**	**₹ 1,17,000.00**	
84	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 75 (धनावाँ, इलरा, मोखारी)	निर्धारित क्षेत्रों में	1200.00	450.00	1000.00	₹ 1,85,500.00	4000.00
	(ख)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 76 (मोरामर्दाना, बारा, अतिया, मोचारिम, शेखवारा)		800.00	300.00	300.00	₹ 1,20,000.00	
		Group Total		**2000.00**	**750.00**	**1300.00**	**₹ 3,05,500.00**	

समूह सं0		दुकान का नाम	अवस्थिति	मासिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क (रु0 में)	आवेदन शुल्क (रु0 में)
				देशी/म0 देशी श0 (एल0पी0एल0)	विदेशी श0 (एल0पी0एल0)	बीयर (बी0एल0)		
85	(क)	पंचायत कम्पोजिट शराब दुकान सं0 - 77 (कुरमावाँ,इटरा,क्षिकटिया)	निर्धारित क्षेत्र में	1000.00	400.00	300.00	₹ 1,53,000.00	2000.00
		Group Total		**1000.00**	**400.00**	**300.00**	**₹ 1,53,000.00**	
		Grand Total		**292053.00**	**119827.00**	**276104.00**	**47019860.00**	

नोट:- (1) उच्च क्षमता प्रक्षेत्र का वार्ड सं0 - 11,14,15,16,17,18,19,36,37 एवं 38 (कुल दस वार्ड)।

(2) निम्न क्षमता प्रक्षेत्र का वार्ड सं0 -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,20,21,22,23,24,25,26,27,28 29,30,31,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 एवं 53 (कुल तैतालीस वार्ड)।

(3) महाबोधि मन्दिर बोधगया से 1000 (एक हजार) मीटर की परिधि में किसी प्रकार की शराब दुकान नहीं खोली जाएगी।

Ile 22/2

समाहर्ता
गया

ज्ञापांक 228 /उ० गया, दिनांक 23/2 /2015.

प्रतिलिपि :– आयुक्त उत्पाद, बिहार पटना/ संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार पटना/ उपायुक्त उत्पाद, पटना–सह–मगध प्रमण्डल, पटना/ सभी उपायुक्त उत्पाद/आयुक्त उत्पाद के सचिव, बिहार पटना/ आयुक्त के सचिव, मगध प्रमण्डल, गया/ सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/ सभी अधीक्षक उत्पाद/समाहर्त्ता के निजी सहायक, गया/ वरीय पुलिस अधीक्षक, गया/ अनुमण्डलाधिकारी, सदर गया/ शेरघाटी/ टिकारी/ नीमचक बथानी/ सभी अंचलाधिकारी, गया/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गया/ जिला कल्याण पदाधिकारी, गया/ जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गया/ नजारत उपसमाहर्त्ता, गया/ महापौर, नगर निगम, गया/ अध्यक्ष, जिला परिषद, गया/ अध्यक्ष, नगर पंचायत–शेरघाटी/बोधगया/टिकारी/गया जिला अन्तर्गत सभी निरीक्षक उत्पाद/ सभी अवर निरीक्षक उत्पाद/ डी०आई०ओ०, एन०आई०सी० गया को सूचनार्थ एवं वृहत प्रचारार्थ प्रेषित। डी०आई०ओ०, एन० आई० सी०, गया को निदेशित किया जाता है कि कृपया इसे गया जिला की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करें।

Ile 22/2

समाहर्त्ता,
गया।